



समाहरणालय, मधुबनी (बिहार)
Collectorate, Madhubani



E-mail:- dm-madhubani@bih@nic.in
miningmadhubani@gmail.com

website: http://madhubani.nic.in

जिला खनन प्रशाखा

पत्रांक 451 /एम0, मधुबनी

दिनांक 10/05/2023

प्रेषित,

जय शिव शक्ति इंटरप्राइजेज,
प्रो0-बुद्ध राम शर्मा
पिता-काना राम,
वार्ड नं0-06, खोदा,
हनुमानगढ़, राजस्थान
ई-मेल budhram179@gmail.com

विषय:- मधुबनी जिलान्तर्गत कमला नदी के बालूघाट/कलस्टर संख्या-02 (भकुआ बालूघाट, चन्दर गोबरौरा बालूघाट, बकसाही बालूघाट) की आगामी पाँच वर्षों के लिए बन्दोबस्ती हेतु दिनांक 04.03.2023 को सम्पन्न ई-नीलाम में उच्चतम डाकवक्ता घोषित होने के फलस्वरूप सैद्धान्तिक स्वीकृत्यादेश के संबंध में।

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक 1968 दिनांक 12.04.2023 के आलोक में।
महाशय,

उपर्युक्त विषयक मधुबनी जिलान्तर्गत कमला नदी के बालूघाट/कलस्टर संख्या-02 रकबा-17.23 हेक्टेयर की आगामी पाँच वर्षों के लिए बन्दोबस्ती हेतु दिनांक 04.03.2023 को सम्पन्न ई-नीलाम में आपके द्वारा मो0-7753500.00 (सतहत्तर लाख तिरपन हजार पाँच सौ रुपये) के विरुद्ध उच्चतम डाक की राशि मो0-8528850.00 (पचासी लाख अठाईस हजार आठ सौ पचास) रुपये की बोली के फलस्वरूप उच्चतम डाकवक्ता घोषित हुए। निविदा दस्तावेज की कंडिका 20(i) के आलोक में आपके द्वारा नीलामी राशि 25 प्रतिशत राशि (जमा अग्रधन राशि समायोजनोपरान्त) प्रतिभूति राशि मो0-193838.00 (एक लाख तेरानवे हजार आठ सौ अड़तीस) रुपये के भुगतान का साक्ष्य दिनांक 06.03.2023 को कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। एकल निविदा के फलस्वरूप निविदा दस्तावेज की कंडिका 19(vi) के तहत विभागीय पत्रांक 1968 दिनांक 12.04.2023 द्वारा विभागीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

निविदा दस्तावेज की कंडिका 20 (i) (ii) (iii) (iv) (v) के आलोक में मधुबनी जिलान्तर्गत कमला बलान नदी के बालूघाट/कलस्टर संख्या 02 का सैद्धान्तिक स्वीकृति के शर्त एवं बंधेज निम्नवत है।

(1) बालूघाट/कलस्टर संख्या-02 से संबंधित विवरणी निम्नवत है:-

क्र०	नदी का नाम	बालू घाट का नाम	बालूघाट/कलस्टर का पूरा पता	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	Geo-Co-Ordinates		
						-Latitude	Longitude
1	कमला नदी	बकुआ बालूघाट	ग्राम-बौका अंचल-खजौली जिला-मधुबनी, बिहार	17.23	A	26°30'17.87"N	86°11'21.58"E
					B	26°30'21.73"N	86°11'25.70"E
					C	26°30'3.08"N	86°11'43.40"E
					D	26°30'1.31"N	86°11'38.22"E
		चन्दर गोबरौरा घाट	ग्राम-चन्दर गोबरौरा, अंचल-खजौली, जिला-मधुबनी, बिहार		A	26°28'56.41"N	86°12'17.04"E
					B	26°28'57.21"N	86°12'16.81"E
					C	26°28'58.44"N	86°12'21.66"E
					D	26°29'0.91"N	86°12'28.27"E
		बकसाही बालूघाट	ग्राम-बकसाही, अंचल-बाबूबरही, जिला-मधुबनी, बिहार		E	26°28'59.98"N	86°12'29.35"E
					F	26°28'57.22"N	86°12'23.17"E
					A	26°26'56.05"N	86°14'2.63"E
					B	26°26'55.16"N	86°14'6.37"E
	C	26°27'12.11"N	86°14'6.87"E				
	D	26°27'12.11"N	86°14'4.09"E				
2	सुरक्षित क्षेत्र/वन अभ्यारण्य क्षेत्र/पक्षी अभ्यारण्य/वन्य जीव आश्रयण क्षेत्र से दूरी				लागू नहीं है।		
3	बालूघाट/बालूखंड से 500 मीटर के अन्दर खनन पट्टी क्षेत्र की स्थिति				नहीं है।		
4	पुरातात्विक स्थल से दूरी				लागू नहीं है।		
5	DSR के अनुसार खनन योग्य बालू की मात्रा (घनमीटर में)				103380 घनमीटर		

(2) **भुगतान की शर्तें:-**

- (i) नीलामी राशि केवल प्रथम वर्ष के लिए बन्दोबस्ती की राशि मानी जायेगी। दूसरे वर्ष और उसके अनुक्रमी वर्षों में बन्दोबस्ती की राशि गत वर्ष की बन्दोबस्ती राशि के 120 प्रतिशत के बराबर अथवा समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित निर्देशों के अनुरूप होगा।
- (ii) प्रतिभूति जमा के अतिरिक्त आपको निम्नलिखित समय सारणी/भुगतान अनुसूची के अनुसार बन्दोबस्ती की राशि का भुगतान करना होगा:-

किस्त	भुगतान की नियत तारीख
प्रथम किस्त (50%)	(क) पट्टा संविदा निष्पादन से पहले (पहले वर्ष के लिए) (ख) प्रथम वर्ष में पट्टा संविदा निष्पादन की तिथि से एक वर्ष पूरा होने के 60 दिन पूर्व और अनुक्रमिक वर्षों में इसी प्रक्रिया का पालन करते हुए जमा किया जायेगा।
द्वितीय किस्त (25%)	पट्टा संविदा निष्पादन की तिथि से 03 महीना पूरा होने से पहले
तृतीय किस्त (25%)	पट्टा संविदा निष्पादन की तिथि से 06 महीना पूरा होने से पहले

प्रत्येक समानुदान वर्ष में बन्दोबस्तधारी द्वारा पहली किस्त के भुगतान के समय दूसरी और तीसरी किस्तों की राशि के लिए पोस्टडेटेड चेक समाहर्ता, मधुबनी के पक्ष में जमा की जायेगी। यदि किसी किस्त के भुगतान करने में बन्दोबस्तधारी असफल होता है तो आगे ई-चालान सिस्टम द्वारा बन्द कर दिया जायेगा और केवल अग्रिम भुगतान कर दिये जाने के बाद ही खोला जायेगा साथ ही इसके लिए किसी भी तरह का क्षतिपूर्ति का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

- (3) **GST का भुगतान :-** बन्दोबस्तधारी को जी0एस0टी (GST) के रूप में प्रचलित दर के अनुसार राशि वाणिज्यकर विभाग को भुगतान करना होगा। जिला खनन कार्यालय, मधुबनी में जी0एस0टी0 भुगतान का प्रमाण प्रत्येक किस्त के साथ देना होगा।
- (4) **आयकर /अन्य करों का भुगतान :-** बन्दोबस्तधारी को आयकर अधिनियम के तहत आयकर एवं उस पर नियमानुसार देय अधिभार का भुगतान आयकर विभाग के प्रचलित दर के अनुसार एक मुश्त करना होगा। यह राशि बन्दोबस्ती राशि के प्रत्येक किस्त के साथ देय होगी। जिला खनन कार्यालय, मधुबनी के द्वारा यह राशि आयकर मद में जमा करा दी जायेगी।
- (5) **जिला खनिज फाउन्डेशन:-** Bihar Mineral District Foundation Rules, 2018 के अनुसार बन्दोबस्ती राशि की 02 प्रतिशत राशि जिला खनिज फाउन्डेशन, मधुबनी के नाम से चेक/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान करना होगा।
- (6) **वैधानिक अनापति:-** बालूघाट संचालन हेतु आवश्यक समस्त वैधानिक अनापति/अनुमति यथा:- खनन योजना, पर्यावरणीय स्वीकृति, जल एवं वायु सहमति आदि सफल डाकवक्ता द्वारा प्राप्त की जायेगी। वैधानिक अनापति/अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही बालू खनन प्रारंभ किया जा सकेगा। वैधानिक अनापति/अनुमति के बिना अथवा वैधानिक अनापति/अनुमति में अनुज्ञात मात्रा या निर्धारित क्षेत्र से बाहर से खनन किये जाने की दशा में सुसंगत नियमों के अनुसार संबंधित सफल डाकवक्ता/बन्दोबस्तधारी पर कार्रवाई की जायेगी। वैधानिक अनापति/अनुमति निम्नानुसार है:-
- (i) **खनन योजना:-** खनन योजना प्रभावी नियमों में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार सफल डाकवक्ता/बन्दोबस्तधारी द्वारा QCI/NABET से मान्यता प्राप्त Professional RQP से तैयार कर निदेशक, खान या विभाग द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के समक्ष लेटर ऑफ इंटेंट निर्गत होने से 30 दिनों के अन्दर अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करना होगा। खनन योजना बनाने पर होने वाले व्यय का वहन संबंधित खनिज डाकवक्ता/बन्दोबस्तधारी द्वारा किया जायेगा। साथ ही खनन योजना की जाँच हेतु समाहर्ता/विभाग अन्य एजेंसियाँ चयनित कर सकेगा, जिसका निर्धारित फीस/खर्च भी बन्दोबस्तधारी को ही वहन करना होगा। सफल डाकवक्ता/बन्दोबस्तधारी खनन योजना के अनुसार खनन करना सुनिश्चित करेंगे।
- (ii) **पर्यावरणीय स्वीकृति:-** सफल डाकवक्ता/बन्दोबस्तधारी खनन योजना अनुमोदन के 15 दिनों के अन्दर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के सक्षम प्राधिकार के समक्ष पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) के लिए प्रस्ताव समर्पित करेगा। समयबद्ध रीति से

पर्यावरणीय एवं अन्य वैधानिक स्वीकृति प्राप्त करना सफल डाकवक्ता की जिम्मेवारी होगी। अपेक्षित पर्यावरणीय स्वीकृति एवं अन्य आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की देरी के लिए सफल डाकवक्ता स्वयं जिम्मेवार होंगे एवं इस संबंध में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति के लिए कोई दावा मान्य नहीं होगा।

- (iii) **जल एवं वायु सहमति:** पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात सफल डाकवक्ता अधिकतम 07 (सात) दिवस के अन्दर जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अधीन सक्षम पदाधिकारी के समक्ष सहमति/Consent to Establish/Consent to operate प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करेगा।
- (iv) **खनन के लिए अनुमत मात्रा:** खनन योजना, पर्यावरणीय स्वीकृति तथा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत प्राप्त सहमति में वर्णित बालू की मात्रा (इनमें से जो भी कम हो) तक ही खनन अनुमान्य होगा। यदि अनुमोदित खनन योजना, पर्यावरणीय स्वीकृति तथा जल एवं वायु सहमति में खनन योग्य मात्रा कम किये जाने पर भी वार्षिक देय बन्दोबस्ती राशि किसी स्थिति में कम नहीं की जायेगी।
- (v) बिना किसी वैध कारण के पर्यावरणीय स्वीकृति, Consent to Establish/Consent to operate/ जल एवं वायु सहमति प्राप्त नहीं कर पाते हैं या प्राप्त करने में रुचि नहीं लेते हैं तो समाहर्ता द्वारा सुरक्षित राशि जम्मा कर पुनः नीलामी की कार्रवाई की जायेगी।
- (7) **बन्दोबस्ती विलेख/पट्टा संविदा (डीड) निष्पादन करना:-**
- (i) सफल डाकवक्ता द्वारा सभी वैधानिक अनापति प्राप्त करने के उपरान्त 05 वर्षों की अवधि के लिए बालू खनन करने हेतु समानुदान/बन्दोबस्ती स्वीकृत किया जायेगा। सफल डाकवक्ता विहित प्रपत्र में संबंधित नियमानुसार बन्दोबस्ती विलेख अथवा उसके समरूप एक प्रपत्र, कार्य आरंभ करने से पहले, निष्पादित करेगा तथा विहित अपेक्षित राशि संबंधित विभाग में जमा देगा। बन्दोबस्तधारी के पट्टे की अवधि विलेख/संविदा निष्पादन की तिथि से 05 वर्षों/सरकार के आदेश के अनुकूल समय के लिए विधिमान्य होगा।
- (ii) बन्दोबस्तधारी को निष्पादित संविदा का निबंधन संबंधित विभाग के प्रचलित नियमों के अधीन एक माह के अन्दर कराना अनिवार्य होगा।
- (8) सफल डाकवक्ता/बन्दोबस्तधारी द्वारा बन्दोबस्ती प्रत्यर्पण/कारोबार छोड़ने का विकल्प बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम 50 के अनुरूप किया जा सकेगा।
- (9) **सामान्य शर्तें :-**
- (i) बंदोबस्तधारी नदी तट से बालू प्रेषण के बिन्दु पर एक साईनबोर्ड एवं सीमा स्तंभ का अधिष्ठापन करायेगा, जिसपर बंदोबस्तधारी का नाम एवं पता, बंदोबस्ती की अवधि, स्थानीय मैनेजर का नाम एवं पता तथा बालू का विक्रय मूल्य प्रदर्शित किया जाएगा। यदि साईन बोर्ड निरीक्षण में नहीं पाया गया तो शास्ति अधिरोपित की जायेगी।
- (ii) बंदोबस्तधारी श्रम विधियों के प्रावधानों के अनुसार आश्रय गृह, पीने का पानी, शिशु गृह (क्रेचेज) तथा फर्स्ट एड किट की व्यवस्था संबंधित बालूघाटों में लगे श्रमिकों के लिए करेगा।
- (iii) बंदोबस्तधारी संबंधित क्षेत्रों का निरीक्षण करेगा तथा स्वयं/अथवा अपने द्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से बालूघाटों का प्रचालन करेगा। किसी रूप में किये गये उपपट्टा (सबलेटिंग) के लिए बंदोबस्ती रद्द कर दी जाएगी। बालूघाटों/नदी तल तक बालू के परिवहन के प्रयोजनार्थ पहुँच पथ (अप्रोच रोड) का निर्माण सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी द्वारा स्वयं अपने खर्चे से किया जाएगा।
- (iv) बालूघाट की सुरक्षा की जिम्मेवारी सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी की होगी।
- (v) सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी बंदोबस्त क्षेत्र के भीतर किसी अवैध खनन के लिए जिम्मेवार होंगे और पाई गई किसी शिकायत पर गंभीरता से विचार किया जाएगा तथा सफल डाकवक्ता/ बंदोबस्तधारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

- (vi) सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी समाहर्ता द्वारा बालूघाटों के संचालन के संबंध में लोकहित में जारी निर्बंधनों और शर्तों तथा निदेशों का पालन करेगा।
- (vii) उपर्युक्त शर्तों, बंधेजों एवं निर्बंधनों का पालन नहीं करने पर कारण पृच्छा निर्गत कर बंदोबस्ती रद्द करने की कार्रवाई की जा सकेगी।
- (viii) सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी को खनन राजस्व/जी0एस0टी0/आयकर/स्टाम्प शुल्क/रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान नहीं करने की दशा में 30 दिनों के अन्दर कारण स्पष्ट करने हेतु नोटिस दी जायेगी। निर्धारित अवधि के अन्दर बन्दोबस्तधारी द्वारा बकाया का भुगतान करने में असफल रहने की दशा में राशि वसूली की कार्रवाई के साथ-साथ बंदोबस्ती रद्द करने की भी कार्रवाई की जाएगी।
- (ix) नीलामी हेतु प्रस्तावित बालूघाटों से संबंधित तकनीकी तथा अन्य बिन्दुओं यथा-भूमि के अंचल, थाना, मौजा, खाता, खेसरा, रकबा तथा GPS Co-ordinate के संबंध में विवाद/त्रुटी पाए जाने पर संशोधन का अधिकार समाहर्ता, मधुबनी/जिला खनन कार्यालय, मधुबनी का होगा। बालूघाटों का सीमांकन एवं नियमानुसार निर्धारित आयाम/विशिष्टियों का सीमास्तम्भ का अधिष्ठापन GPS Co-ordinate के अनुसार बालू बंदोबस्तधारी को कराना होगा तथा खनन के क्रम में संधारित कराना सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी की जवाबदेही होगी, जिसे RQP/अंचलाधिकारी की उपस्थिति में प्रमाणित कर बालूघाटों के निर्धारित क्षेत्र का Reduced Level (RL)/Pre-Level (PL) एवं सेटेलाइट इमेजेज मानसून के पहले एवं बाद में जिला खनन कार्यालय, मधुबनी में समर्पित करना होगा।
- (x) बालूघाट से लिंक रोड और बालूघाट के बीच कोई प्राकृतिक जलमार्ग/सिंचाई नहर पड़ती हो तो, सफल डाकवक्ता/बन्दोबस्तधारी जल संसाधन विभाग की पूर्व अनुमति से अस्थायी संरचनाएँ खड़ा कर सकेगा। पूर्व अनुमति के लिए ऐसे आवेदन जल संसाधन विभाग के संबंधित मुख्य अभियंता के समक्ष दिये जायेंगे।
- (xi) बालूघाट में रैयती/बंदोबस्ती जमीन होने पर संबंधित रैयत से सहमति प्राप्त कर बालू का खनन करना होगा। यह जिम्मेदारी पूर्णतः बन्दोबस्तधारी की होगी एवं विभाग से कोई क्षतिपूर्ति का दावा मान्य नहीं होगा।
- (xii) बन्दोबस्तधारी द्वारा बन्दोबस्ती अवधि के दौरान किसी भी कारण से खनन कार्य नहीं करने की स्थिति में किसी भी प्रकार का मुआवजा/नुकसान एवं क्षतिपूर्ति का दावा मान्य नहीं होगा।
- (xiii) ई-नीलामी एवं बालूघाट की बन्दोबस्ती अवधि के दौरान उत्पन्न किसी भी प्रकार का विवाद बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली, 2019 (यथा संशोधित) के अधीन होगा।
- (xiv) सफल डाकवक्ता/बन्दोबस्तधारी को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी गयी कोई भी सूचना/निदेश/ आदेश इत्यादि आई0टी0 एक्ट (IT-Act.) के तहत स्वीकार्य साक्ष्य के रूप में माना जायेगी।

नोट:- निविदा दस्तावेज में उल्लिखित नियम एवं प्रावधानों का अक्षरशः पालन करना होगा।

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन

 101-5123

समाहर्ता,
मधुबनी।